

पत्रांक: 4267 / 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 24/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड नारायणबगड़ में फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.61है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:- वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र सं0 1657/12-1 दिनांक 17.02.2024.(संलग्न)

महोदय,

वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कतिपय कमियों में वापस किया गया है जो निम्नानुसार है:-


1- प्रस्ताव में के0एम0एल0 फाईल का अवलोकन करने पर पाया गया है कि जिन गांवों के लिए मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जा रहा है वे गांव पूर्व से ही मोटर मार्ग से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।

2- प्रस्ताव में 0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों की संख्या शून्य अंकित की गयी है 0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों की संख्या अंकित करने हेतु अपने सम्बन्धित कर्मचारी को नामित करते हुए वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ से समन्वय स्थापित करते हुए पुनः वृक्षों की गणना करने हेतु निर्देशित करें।

3- प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरक्षण की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिन्हांकन व 25मी0 की दूरी पर पिलरबन्दी की गयी है का प्रमाण पत्र दिया जाना है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरक्षण की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिन्हांकन व 25मी0 की दूरी पर पिलरबन्दी के सम्बन्ध में सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त बिन्दुओं में अपनी सुस्पष्ट आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण को उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,




(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 4267 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़, को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्तावक विभाग के द्वारा मोटर मार्ग के संरक्षण में आ रहे 0-10 के वृक्षों की गणना कर सूचना यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

o/c



(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।